राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 62/2019

दायर दिनांकः–07.11.2019

1. श्रीमती जमना पुत्री स्व.काना पत्नी बिरदा जाति जाट निवासी थल हाल निवासी बाना की ढाणी रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
2. श्री नानूराम पुत्र स्व.काना जाति जाट निवासी ग्राम थल
3. श्रीमती राजूड़ी पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम थल
4. श्री रामावतार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम थल
5. श्री बबलू पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम थल
6. श्री श्योजीराम पुत्र स्व.काना जाति जाट निवासी ग्राम थल
7. श्री लालराम पुत्र स्व.काना जाति जाट निवासी थल, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री जीतूराम पुत्र अमरचन्द जाति जाट, निवासी ग्राम थल
2. श्रीमती पूजा पुत्री अमरचन्द जाति जाट, निवासी ग्राम थल
3. श्योराम पुत्र बोदू जाति जाट, निवासी ग्राम थल
4. श्रीमती नौसर पत्नी अमरचन्द जाति जाट, निवासी ग्राम थल
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय एवं उपपंजीयक रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने बाबत।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 30.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम थल पटवार हल्का थल ... थल तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि आराजी के ख0न0 435 रकबा 6.3102 है0 भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के स्व.पिता काना पुत्र बिरदा जाट सा0 थल का 1/2 हिस्सा निहित था तथा ख0न0 436 रकबा 0.2103 गै.मु.चाह में 1/18 हिस्सा निहित था केवल गै.मु. ... प्रार्थीगण के पूर्वज काना का नामान्तकरण खोल दिया है, प्रत्येक प्रार्थी का वर्तमान रिकार्ड में 1/90

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

हिस्सा इन्द्राज है। उक्त कृषि आराजी में ख0न0 435 में अप्रार्थी संख्या 1, 2 के पिता अप्रार्थी संख्या 4 के स्व. पति अमरचन्द पुत्र बोदू तथा अप्रार्थी संख्या 3 श्योराम पुत्र बोदू तथा अमरचन्द व श्योराज पुत्र बोदू की माता हगामी पत्नी बोदू जिनका स्वर्गवास हो चुका है उन तीनों का उक्त आराजी में 1/9 हिस्सा था उसमें से 02–10 बीघा को बैचान पूर्व में कर दिया था। शेष उनके हिस्से की सम्पूर्ण आराजी 01–16–10 बीघा तथा ख0न0 436 रकबा 0.2103 है0 हाल में उनका हिस्सा 1/18 था। उसका सम्पूर्ण बैचान जरिये रजिस्टर्ड डीड द्वारा दिनांक 08.09.1999 को 25000/– रूपये में कर कब्जा प्रार्थीगण के पिता काना पुत्र बिरदा जाट सा0 थल को सम्भला दिया था तब से अपने जीवनकाल तक काना पुत्र बिरदा जाट काबिज चले आ रहे थे। उनका स्वर्गवास 08.06.2018 को हो चुका है तथा उनकी पत्नी लाड़ा देवी का स्वर्गवास 02.03.1990 को हो चुका है एवं उनके विधिक वारिसान पुत्र छोटूराम का स्वर्गवास 24.03.2018 को हो चुका है जिनके विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 3 से 5 है। प्रार्थीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने पिता, दादा, ससुर काना पुत्र बिरदा की मुत्यु के बाद उनके हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार निहित हुये है। उक्त क्रय शुदा विक्रय विलेख दिनांक 08.09.1999 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 300 क्रम संख्या 1620/99 पृष्ठ संख्या 35 से .....तक पंजीबद्ध एवं अति.फाईल बुक की जिल्द संख्या 482 क्रम संख्या 1620/99 पृष्ठ संख्या 168 से 173 पर चस्पा है। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर ग्राम पंचायत थल द्वारा तत्कालीन सरपंच प्रतापराम द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज काना पुत्र बिरदा का विरासत नामान्तकरण खोल दिया गया किन्तु ख0न0 435 में से जो रजिस्ट्री 01–16–10 बीघा आराजी जिसका बैचान अप्रार्थी संख्या 1, 2 के पिता अमरचन्द तथा अप्रार्थी संख्या 4 के पति अमरचन्द द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 तथा अप्रार्थी संख्या 3 की माताजी हगामी पत्नी बोदू द्वारा दिनांक 08.09.1999 को जो रजिस्टर्ड बैचान प्रार्थीगण के पिता व दादा व ससुर काना के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बैचान कर कब्जा ख0न0 435 रकबा 6.3102 है0 में से अपने 1/9 हि0 में शेष कृषि आराजी में से 01–16–10 बीघा का नामान्तकरण ग्राम पंचायत थल द्वारा नहीं खोला गया। नामान्तकरण संख्या 314 दिनांक 20.10.1999 गै.मु.चाह में प्रार्थीगण के पूर्वज काना पुत्र बिरदा के नाम विक्रेतागण के 1/18 हिस्से अनुसार नामान्तकरण खोल दिया गया किन्तु कृषि आराजी बाबत काना पुत्र बिरदा के नाम नामान्तकरण नहीं खोला गया किसी तरह का नामान्तकरण खारिज करने का उल्लेख न कर यह लिख कर कि विलेख द्वारा विक्रित रकबा 01–16–10 बीघा को काना के पक्ष में अस्वीकार किया है। प्रार्थीगण के पूर्वज काना पुत्र बिरदा अपने जीवनकाल तक उक्त आराजी पर काबिज रहे उनकी मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसान काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का अपने पूर्वज काना पुत्र बिरदा से ख0न0 435 में जो हिस्सा प्राप्त हुआ है वह 1/12 है तथा 01–16–10 बीघा जो अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के पूर्वज अमरचन्द तथा अप्रार्थी संख्या 3 श्योराम तथा अप्रार्थी संख्या 3 की माता हगामी पत्नी बोदू जाट निवासी थल से जरिये रजिस्टर्ड डीड ख0न0 435 रकबा 39 बीघा में से जो रकबा 01–16–10 बीघा जरिये रजिस्टर्ड डीड क्रय किया गया था उस सहित प्रार्थीगण का हिस्सा 61/2340 प्रा0पत्र अधीन आराजी में बनता है तथा प्रार्थी संख्या 01 का हिस्सा 61/1170 तथा [illegible] 2 का 61/1170 तथा प्रार्थी संख्या 2 से 5 का हिस्सा 61/1170 तथा प्रा[illegible] संख्या 7 का 61/1170 हिस्सा बनता है तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2 [illegible] तथा अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 11/702 तथा अप्रार्थी संख्या 3 की माता हगामी देवी [illegible] बोदू जिसका स्वर्गवास हो चुका है उसका हिस्सा 11/702 राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी में अंकन कर रखा है यह विधि विरूद्ध है तथा अप्रार्थी संख्या 3 श्योराम के द्वारा प्रा0पत्र अधीन आराजी का अपना हिस्सा दिनांक 08.09.1999 को बैचान जरिये रजिस्टर्ड डीड किया गया था तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 के पूर्वज अमरचन्द तथा अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

3 तथा अप्रार्थी संख्या 3 की माता हगामी देवी पत्नी बोदू के द्वारा बैचान कर दिया था उसके बाद अमरचन्द के वारिसान 1, 2, 4 तथा 3 के नाम गलत व खिलाफ कानून विरासत नामान्तकरण खोल दिया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा अपने हिस्से का बैचान करने के बाद भी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने के आधार पर जानबूझकर बैंक ऑफ बडौदा शाखा रूपनगढ़ के यहाँ रहन रखकर ऋण प्राप्त कर लिया है। यह विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 4 की नियत में फर्क आ गया है वह कभी भी अपनी पूर्वज हगामी पत्नी बोदू के हिस्से का नामान्तकरण खुलवाकर अपने अपने हिस्से जो राजस्व रिकार्ड में अंकन हो रखा है उसके तथा अपनी पूर्वज हगामी के हिस्से का नामान्तकरण खुलवा कर प्रा0 पत्र अधीन आराजी का बैचान, बख्शीश, वसीयत, रहन आदि द्वारा हस्तान्तरण करने को उतारू है। अतः उक्त प्रा0पत्र पर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रार्थी संख्या 05 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम हो रखा है, उस आधार पर तथा अपनी पूर्वज हगामी पत्न बोदू जिसका स्वर्गवास हो चुका है, उसका नामान्तकरण खुलवाकर उसमें जो हिस्सा अप्रार्थीगण का होगा उस आधार पर ग्राम थल के ख0न0 435 रकबा 6.3102 है0 में किसी प्रकार से बैचान, बख्शीश, वसीयत, रहन आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 5 के समक्ष किसी प्रकार का हस्तान्तरित विलेख अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा पेश किया जावे तो उसका पंजीयन नहीं करे एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे, उन्हें बेदखल नहीं करे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में [illegible] किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)